http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-66/2026/152/69-1-26-2015853

प्रेषक,

लाल मणि यादव,
उपसचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग। **लखनऊ : दिनांक : 09 फरवरी, 2026**

विषय वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-37 में मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत **जनपद-गोरखपुर** के नगर निगम गोरखपुर की कुल **14 परियोजनाओ** की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4392/10/छः/विविध/2017-18 दिनांक 17.01.2026के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "**मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत**" वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत **जनपद-गोरखपुर** के नगर निगम गोरखपुर की विभिन्न निकायों की अल्पविकसित मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग/सी0सी0रोड, नाली निर्माणव पथ प्रकाश व्यवस्था के कार्यों से सम्बन्धित कुल **14** परियोजनाओं,जिसका विवरण तालिका में दिया गया है, हेतु कुल **रू. 504.98 लाख** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहितउक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात **रू. 252.49 लाख (रूपये दो करोड़ बावन लाख उनचास हजार मात्र)** धनराशि की वित्तीय स्वीकृति पर श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रू. में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	निकाय का नाम	जनपदवार परियोजनाओं की संख्या	बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण।	परियोजना लागत	प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत की जाने वाली धनराशि(लागत का 50 प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7
1	गोरखपुर	न0नि0 गोरखपुर	1	वार्डसं0 01 महादेव झारखण्डी टुक्ड़ा नं0 01 में राधेश्याम के मकान से उग्रसेन, दीनानाथ चन्द्रबली सुनील, जितेन्द्र के मकान होते हुए डिहबाबा स्थान सी0सी0 सड़कव नाली निर्माण कार्य।	53.06	26.53
	गोरखपुर	न0नि0 गोरखपुर	2	वार्डसं0 01 महादेव झारखण्डी में प्रद्युमन के (महादेवपुरम कालोनी) मकान से अरविन्द, विजय, राजू, ट्रांसफार्मर होते हुए संतोष के मकान तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	56.05	28.025
	गोरखपुर	न0नि0 गोरखपुर	3	वार्डसं0 12 अशोक नगर में गौरी शंकर राय के मकान से गांगुली स्कूल पूर्वी गेट व मातमशुक्ला के मकान से दिर्गविजय के मकान तक सी0सी0 रोड व आर0सी0सी0 नाली निर्माणकार्य एवं शशि मल्ल गिरी के मकान से मेन रोड तक आर0सी0सी0	37.84	18.92

				नाली निर्माण कार्य।		
	गोरखपुर	**न0नि0 गोरखपुर**	4	वार्डसं0 07 नन्दानगर में (दरगहिया) हरेराम आटा के सामने से चन्द्रशेखर सैनी के घरहोते हुए राजेश रावत के घर तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	**22.74**	**11.37**
	गोरखपुर	**न0नि0 गोरखपुर**	5	वार्डसं0 14 डा0 राजेन्द्र प्रसाद नगर में वृन्दावन कालोनी रोड से रीना सिंह के घरहोते हुए माया तिवारी के घर तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	**40.37**	**20.185**
	गोरखपुर	**न0नि0 गोरखपुर**	6	वार्ड सं0 14 डा0 राजेन्द्र प्रसाद नगर में राजकुमार पाठक के मकानसे ओमकार के मकान होते हुए शिव कुमार यादव व गणेश के मकान तक सी0सी0 सड़क वआर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	**49.93**	**24.965**
	गोरखपुर	**न0नि0 गोरखपुर**	7	वार्ड सं0 14 द्वारिकापुरी में राकेश के मकान से सिन्धू सिंह, मनीषसिंह, बृद्धिचन्द व हेमन्त शर्मा के मकान होते हुए विन्ध्यवासिनी सिंह के मकानतक सी0सी0 सड़क एवं आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य	**53.05**	**26.525**
	गोरखपुर	**न0नि0 गोरखपुर**	8	वार्डसं0 20 लच्छीपुर में रामआसरे के मकान से अरूण सोनकर के मकान तक सी0सी0 सड़क वनाली निर्माण कार्य।	**15.09**	**7.545**
	गोरखपुर	**न0नि0 गोरखपुर**	8	वार्डसं0 35 जंगल सालिकराम में ट्रासफार्मर से मनीषा के मकान तक सी0सी0 सड़क वआर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	22.63	**11.315**
	गोरखपुर	**न0नि0 गोरखपुर**	10	वार्ड सं0 35 जंगल सालिकराम में सभी विभिन्न (करमहवा टोला) गलियोंका सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	37.83	**18.915**
	गोरखपुर	**न0नि0 गोरखपुर**	11	वार्ड सं0 04 मदन मोहन मालवीय नगर में भुपेन्द्र के मकान से मुन्नाके मकान होते हुए मारकण्डेय उपाध्याय के मकान तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नालीनिर्माण कार्य।	18.11	**9.055**
	गोरखपुर	**न0नि0 गोरखपुर**	12	वार्ड सं0 04 मदन मोहन मालवीय नगर में प्रकाश के मकान से अरविन्दके मकान होते हुए साधना के मकान तक एवं लिंक गलियों का सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	37.79	**18.895**
	गोरखपुर	**न0नि0 गोरखपुर**	13	वार्ड सं0 04 मदन मोहन मालवीय नगर में बसन्त के मकान से रतन सिंहके मकान होते हुए मनोज, राम शरण, रमा शंकर के मकान तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0	37.8	**18.9**

http://shasanadesh.up.gov.in

				नाली निर्माण कार्य।		
	गोरखपुर	**न0नि0 गोरखपुर**	**14**	वार्ड सं0 06 खोराबार जंगल सिकरी में संजय के मकान से गोविन्द केमकान होते हुए सुरेन्द, दिनेश, अलगू के मकान तक सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नालीनिर्माण कार्य।	22.69	**11.345**
				योग	**504.98**	**252.49**

(रूपये दो करोड़ बावन लाख उनचास हजार मात्र)

1. उक्त धनराशि का उपयोग प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-117/2017/1279/69-1-17-14(31)/2012टीसी, दिनांक 26 अक्टूबर, 2017 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रयोजना पर सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तो/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5. स्वीकृत धनराशि को व्यय करने से पूर्व सूडा/डूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजना/आगणन का गठन वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-ई-8-1210-दस/2008 दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप किया गया है।
6. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
9. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित डूडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरूपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सुचित किया जायेगा।
10. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
11. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा अपर मुख्य सचिव/ सचिव, विशेष सचिव तथा संयुक्त सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
12. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।

http://shasanadesh.up.gov.in

13. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
14. सेन्टेज चार्जेज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।
15. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2026 तक व्यय हो सके।
16. निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त होने वाली धनराशि राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
17. **प्रश्नगत परियोजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित परियोजना निदेशक एवं परियोजना अधिकारी, डूडा की होगी।**

2. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष2025-26 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या** 037 **लेखा शीर्षक** 2217040510400 मुख्यमंत्री नगरीयअल्प विकसित व मलिन बस्ती चालू विकास योजना **मानक मद** 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न **संख्या-ई-9-279-X-2025-26 दिनांक- 08 फरवरी, 2026** में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(लालमणि यादव)
उप सचिव।

<u>संख्या व दिनांक-तदैव</u>।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,20 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, प्रयागराज।
4. निजी सचिव, मा0 मंत्री, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।
5. निजी सचिव,प्रमुखसचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, **गोरखपुर**।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन।
8. नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
9. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
10. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
11. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइड पर अपलोड कराने हेतु।
12. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

भवदीय,

(लालमणि यादव)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in